रजि0न0एल0डब्लू/एन0पी0890
लाइसेंस न0डब्लू0पी0-41
लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2002
आश्विन 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबंधन अनुभाग-5
सं0 क0नि0-5-3713/11-2002-500(5)-99 टी0सी0
लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0 2 सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती अधिसूचना सं0-एस0आर0-1566/11-94-500(5)-91 टी0सी0 दिनांक 5 अगस्त, 1994 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल सन् 1899 के उक्त अधिनियम की धारा-56 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों (अध्याय-5 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण के सिवाय) नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को स्टाम्प शुल्क के ऐसे विवादों के, जिनमें उनके समक्ष स्तम्भ-2 में दर्शायी गयी धनराशि अन्तर्गत हो, सम्बन्ध में अपनी-अपनी अधिकारिता के

अधीन प्रत्यायोजित करते हैं । प्रतिबन्ध यह है कि स्तम्भ-1 में उल्लिखित राजस्व प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित अपनी-अपनी धन सम्बन्धी अधिकारिता के नीचे के स्टाम्प शुल्क के विवादों के मामलें की सुनवाई को ग्रहण नहीं करेगें ।

अनुसूची

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
राजस्व प्राधिकारी	विवाद में अन्तर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क का मूल्य
न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, इलाहाबाद।	पॉच लाख रूपये से अधिक।
मण्डल आयुक्त	पचास हजार रूपये से अधिक किन्तु पॉच लाख रूपये से अनधिक।
अपर मण्डल आयुक्त	पचास हजार रूपये तक।

आज्ञा से
विनोद मल्होत्रा
प्रमुख सचिव ।

संख्या: क0नि0-5-3713(1)/11-2002 तददिनांक:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- विधायी अनुभाग-1।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
9- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(विनोद मल्होत्रा)
प्रमुख सचिव।